राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक प. 9(5।)कार्मिक/क-3/77/पार्ट-I जयपुर, दिनांक 7 NOV 1998

परिपत्र

राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादन करने हेतु कार्य विधि नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही जिसमें निलम्बन भी सम्मिलित है, कार्मिक विभाग ही सम्पादित करने हेतु सक्षम है। तदनुसार राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों को निलम्बित करने का कार्य कार्मिक विभाग का है। कार्य विधि नियमों के अन्तर्गत प्रसारित स्थाई आदेश(Standing order) के तहत राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के निलम्बन प्रस्ताव शासन सचिव, कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय एवं मुख्य मंत्री महोदय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

किन्तु, प्रायः यह देखा गया है कि जिलाधीश, विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन अपने स्तर पर कर देते हैं, जबकि उन्हें इस प्रकार के निलम्बन करने की शक्तियां प्रदत्त नहीं है। कतिपय परिस्थितियोंवश, आपातकाल स्थिति में, यदि राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों का निलम्बन कार्मिक विभाग के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है, तो तत्काल उसकी पुष्टि कराना आवश्यक है। लेकिन निलम्बन के उपरान्त दीर्घकाल तक इस प्रकार के निलम्बन की पुष्टि के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को संबंधित निलम्बनकर्ता प्राधिकारी द्वाराप्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।

राज्य सरकार के ध्यान में यह भी आया है कि कतिपय प्रकरणों में राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक सचिव द्वारा विभाग के मंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय को सीधे ही प्रस्तुत करके अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है, जबकि इस प्रकार की प्रक्रिया इस विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 31.10.77 एवं दिनांक 26.6.85 के दिशा निर्देशों के विपरीत है

एवं कार्य विधि नियमों के आईटम संख्या 21 एवं 22 के अन्तर्गत प्रसारित स्थाई आदेशों (Standing Orders) के अनुरुप नहीं है।

अतः भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जावें कि राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के प्रस्ताव केवल कार्मिक विभाग के माध्यम से ही मुख्यमंत्री महोदय को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जावें। संबंधित प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष एवं विभाग के अन्य अधिकारी जिन्हें निलम्बन की शक्तियां प्रदत्त नहीं है, राज्य सेवा स्तर के अधिकारी को निलम्बित नहीं करें, यदि मामला अत्यधिक आवश्यक प्रकृति का हो तो दूरभाष पर शासन सचिव कार्मिक विभाग एवं मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जावें एवं इसके उपरान्त निलम्बन आदेश की पुष्टि हेतु प्रकरण कार्मिक विभाग को तत्काल प्रस्तुत किया जावें।

समस्त प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव से विशेष निवेदन है कि उक्त अनुदेशों की कठोरता से अनुपालना करवायें।

(**सुधीर भार्गव**)
शासन सचिव

समस्त प्रमुख शासन सचिव
समस्त शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाधीश